Minister, it is proposed to withdraw the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1998 pending in the Lok Sabha and introduce the revised Essential Commodities (Amendment) Bill, 1999 in the Lok Sabha.

(b) The proposed amendments include substantial increase in fines and imprisonment, making of all offences congnizable and non-bailable except the minor offences committed for the first time, requirement of prior permission of an officer not below the rank of Executive Magistrate for making entry, search and seizure, power of arrest to be exercised by an officer not below the rank of Sub-Inspector of police, sale of seized goods to be sold through PDS, provision for allowance of margin between physical stock and stock in record, appeal against confiscation to lie with the State Government and deletion of the item "compo-nent parts and accessories of automobiles" from, the list of essential commodities.

(c) and (d) The amendments aim at providing more deterrent action against hoarders and blackmarketeers.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्नों के वितरण में धांधली

1135. **श्री नरेन्द्र मोहन** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया गया खाद्यान्न लाक्षित व्यक्तियों तक पहुंचाता है;

(ख) क्या भारत सरकार इस संबंध में किसी प्रकार की धांधली की जानकारी रखती है; और

(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं, जहां से भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियों या खामियों की जानकारी प्राप्त हुई है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) जी, हां । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न लाक्षित उपभोक्ताओं को पहुंचते हैं । किन्तु इन खाद्यान्नों के कुछ विपथन होने की संभावना से बिल्कुल इंकार नही किया जा सकता ।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है । केन्द्रीय सरकार चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल जैसी कतिपय आवश्यक वस्तुओं की वसूली करती है और इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर राज्यों को उपलब्ध कराती है और राज्य सरकारें उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिये इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं के बीच वितरित करती है ।

गर्भपात के मामलों में बढ़ोत्तरी

1136. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में गर्भपात करवाने के मामलों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है तथा शिक्षित महिलाएं बालिका शिशु को जन्म देने में और उदासीन हो रही है;

(ख) क्या सरकार बालिका जन्म धारण को सुरक्षित करने तथा उनके गर्भपात किए जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रतिवर्ष हो रहे गर्भपातों की सही संख्या का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलम्माई) : (क) जी, हां । चिकित्सीय गर्भ-समापन (एम0टी0पी0) अधिनियम, 1971 के लागू होने के समय से वैध गर्भपातों की संख्या में वृद्धि हो रही है । वैसे, इस बात का कोई प्रमाण नही है कि शिक्षित महिलाएं लड़कियों को जन्म देने में उदासीन हो रही है ।

(ख) चिकित्सीय गर्भ-समापन (एम0टी0पी0) अधिनियम, 1971 और नियम तथा विनियम, 1975 अवैध गर्भपातो को दृढ़ता से निरूत्साहित करते हैं जिनके लिए दण्ड भी निर्धारित की गई हैं । जिनके तहत कतिपय परिस्थितियों में वैध गर्भपातों की अनुमति दी जा सकती है ।

प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन के माध्यम